16

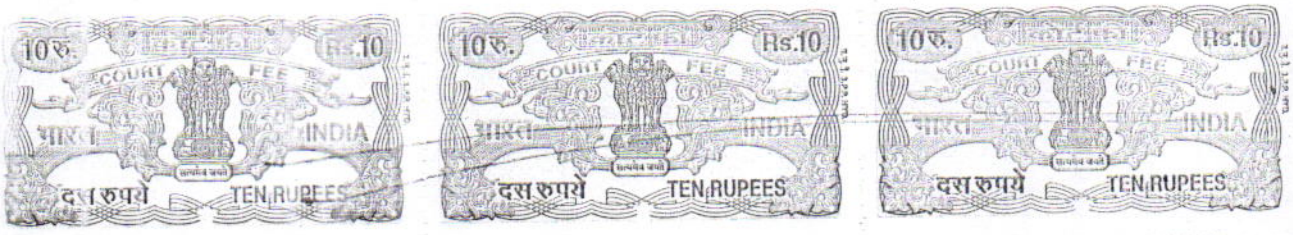

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

A-896-I-17

1. तुलसीराम उम्र 60 वर्ष अहिरवार बल्द कलू अहिरवार
2. पानबाई उम्र 55 वर्ष पति तुलसीराम आदीवासी

निवासी ग्राम गुरयाना तहसील बीना जिला सागर म0प्र0

.....अपीलार्थी

विरूद्व

म0प्र0 शासन

.....प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44(1)म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क. 72 अ/21 वर्ष 2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्व निम्नानुसार अपील प्रस्तुत करता है–

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– अपील–896–एक/2017 जिला–सागर

तुलसीराम व पानबाई विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08 –05–2019	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं शासकीय अभिभाषक श्री राजीव शर्मा उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को ग्राहयता के तर्क पर सुना गया। 2/ आवेदकगण द्वारा यह अपील अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 72/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27–09–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रश्नाधीन आदेश एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेज की छायाप्रतियों का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि ग्राम बरमाइन पटवारी हल्का नम्बर 12 खसरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 341/1 रकबा 1.070 हैक्टेयर का विक्रय की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार बीना एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच कर प्रतिवेदन प्राप्त किये। जांच प्रतिवेदन में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने लेख किया कि वादग्रस्त भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई है एवं भूमि पट्टे की है अपीलार्थीगण विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकता है, इस हेतु जमीन विक्रय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शासन की ओर से अपीलार्थीगण को आजीविका/भरणपोषण के लिये दी गई है।" जांच प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय न किये जाने की	

अनुशंसा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई। कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं अपीलार्थीगण के तर्कों पर विचारोपरांत विक्रय अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन आदेश दिनांक 30–11–2013 से निरस्त किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना कृषि कार्य संपादित कर सकता है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश से स्थिर रखा है। अपीलर्थीगण ने विक्रय के संबंध ममें अपने पक्ष में ऐसा कोई ठोस कारण इस न्यायालय में भी नहीं बतलाया है जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किय जा सके। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं होने से यह अपील आग्राहय की जाती है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर.के. जैन)
सदस्य